FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

गुलाबी देवी बनाम् ग्राम पंचायत चीपलाटा वगै0

मुकदमा नम्बरः- 18/2018

मुकदमाः-प्रार्थना पत्र वाजदायरी (अपील नामा.)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
2018	प्रार्थी वकील श्री बजरंग लाल यादव एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाजदायरी पेश किया। प्रार्थना पत्र वाजदायरी (अपील नामान्तरण) दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 04.04.2018 को पेश हो। Gm-	
-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा [illegible] है/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29-5-18 को पेश हो। Raj	
2-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष-2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के [illegible] प.12 (15) राज-1/2016 दिनांक — की पालना एवं श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी 29-5-18 से तलब होकर आज पेश हुई। उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जानी है। अतः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र चीपलाटा में दिनांक - 29-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। Gm-	गुलाबी
5.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प- चीपलाटा में पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थीया पक्षकार गुलाबी देवी ने उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पक्षकार गुलाबी देवी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा पूर्व में पेश अपील नामान्तकरण उनवानी गुलाबी देवी बनाम् ग्राम पंचायत चीपलाटा मुकदमा नम्बर 09/2014 पूर्व में दिनांक 15.01.2018 को	

Gm-

Scanned by CamScanner

गुलाबी देवी बनाम ग्राम पंचायत चीपलाटा वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	मु०नं० - 18/2018

अपीलान्ट व वकील अपीलान्ट के हाजिर अदालत नहीं होने पर प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया गया है। उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किये जाने हेतु वाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2018 को मय दफा 5 मियाद अधिनियम के सहित प्रस्तुत किया गया है। चूंकि उक्त अपील नामान्तरण में रेस्पोडेण्टस की तलबी जारी नहीं हुई थी एंव ना ही रेस्पोडेण्टस की ओर से कोई हाजिर आया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र वाजदायरी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाकर मूल अपील नामान्तकरण उनवानी गुलाबी देवी बनाम् ग्राम पंचायत चीपलाटा मुकदमा नम्बर 09/2014 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा प्रार्थीया को पाबन्द किया जाता है कि वे सुनवाई हेतु दिनांक 23.07.2018 को न्यायालय में उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–चीपलाटा के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–चीपलाटा

Scanned by CamScanner